

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)



कार्यालय का पता – पोद्दार कॉलोनी के सामने, तिली रोड, फॉरेस्ट कम्पस,
सागर (म.प्र.) फोन/फैक्स नं. – 07582-236867
e-mail – dfowlndehi@mp.gov.in



क्रमांक/मा.वि./2023/810
प्रति,

सागर, दिनांक – 10/7/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष-भू प्रबंध),
म.प्र. भोपाल।

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 272.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./एफ-3/100/2021/10-11/12/782 दिनांक 21.02.23.

-----0-----

विषयांकित में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी निम्नानुसार बिन्दुवार तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है :-

क्र.	बिन्दु	विवरण
1	2	3
i.	The basic details of proposed dam like its height, length, command area, technical approval, hydrological assessment etc. along with alternatives examined with relevant maps shall be submitted.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
ii.	The site specificity of the proposal shall be re-examined and a detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area shall be submitted.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
iii.	The presence important floral species like Tectona grandis, Lagerstromia, Parviflora, Lanea grandis, Anogeissus latifolia, Agele marmelos, Terminalia tomentosa etc has been reported in proposed diversion area. In this regard, a detailed report shall be submitted along with mitigation measure to protect these species.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वनभूमि अंतर्गत सागौन प्रजाति के 18230 वृक्ष तथा सतकठा प्रजाति के 26352 वृक्ष प्रभावित होंगे, जिसके एवज में 300 हे. वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अंतर्गत 3,00,000 पौधे रोपित किए जावेंगे, जिसमें 30 प्रतिशत औषधीय पौधारोपण का प्रावधान किया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर के आदेश क्र./111 दिनांक 16.11.2022 एवं क्र./06 दिनांक 17.01.2023 द्वारा जारी की गई हैं।
iv.	The CCF, Sagar in his Site Inspection report has mentioned the presence of Tiger, Wolf, Sloth Bear, Leopard along with reptile's butterflies and other schedule animals in the forest land proposed for diversion. Further, it has been mentioned that the Indian wolf is the keystone species of Nauradehi Wildlife Sanctuary. Therefore, the comment of Chief Wildlife Warden in this regard needs submission.	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. भोपाल द्वारा अभिमत प्रदाय हेतु लेख किया गया है।


	Out of total, 268.39 ha proposed forest land is located within Nauradehi Wildlife Sanctuary. Further, as per online Part-II, a part of the forest land proposed for diversion is located within Eco-sensitive zone (ESZ) of Nauradehi Wildlife Sanctuary. In this regard the comments of the Chief Wildlife Warden along with the status of the approval of the proposal by the SCNB WL shall be submitted.	अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 656.00 हे. क्षेत्र प्रभावित होगा।
vi.	As per DSS analysis, the proposed forest land is having presence of Agricultural land, Road and Plantations carried out in the past. The same needs clarification.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। जो आवेदक संस्थान द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जावेगा।
vii.	The DGPS map indicating the purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion shall be uploaded on PARIVESH.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
viii.	The KML file of submergence area i.e. 772.521 ha non forest land shall be uploaded on the PARIVESH portal.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
ix.	The copy of CAT plan as submitted does not mention that the same is approved by the Principal CCF & HOFF or any other officer authorized by him for the purpose as prescribed under the Chapter-9 at para 9.2 (vi) of Comprehensive guideline Handbook. 2019. The same need submission.	आक्षेप का संबंध मुख्यालय स्तर से है।
x.	The proposal involves the rehabilitation of people, therefore the copy of approved R&R plan needs submission.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
xi.	The Cost Benefit analysis has been calculated on the old NPV rates, Moreover the complete analysis as per the prescribed format has not been submitted. Therefore, revised cost-benefit analysis is required to be submitted.	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
xii.	The number of trees at FRL-2 & FRL-4 meters has been mentioned as Nil. The correct enumeration detail of the trees may therefore be submitted for each level of the proposed Dam.	कार्यालयीन पत्र क्र./234 दिनांक 27.02.2023 से जानकारी प्रेषित की गई है। पुनः संलग्न कर प्रेषित है।
xiii.	Examination of proposed CA patches through satellite data revealed that the villagers/ inhabitants from the proposed CA land have been relocated/ shifted to some other place and now this vacated land has been proposed for CA. Therefore, the State Govt. shall clarify that the land proposed to be given for CA was not part of any village relocation project for which forest land was diverted under Forest(Conservation) Act. 1980.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला, कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा 310.00 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि विस्थापन प्रक्रिया में प्राप्त भूमि नहीं है। किन्तु उक्त क्षेत्र अधिसूचना क्र. 700-624-दस-2-75 दिनांक 17.02.1975 द्वारा पूर्व से ही नौरादेही अभयारण्य के भाग

xv.	Satellite data shows the presence of Agriculture land, Road, River, Built-up area etc. within the proposed CA land. The same needs clarification.	के रूप में अधिसूचित है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला, कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा 310.00 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./4247 दिनांक 14.12.2022 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उत्तर वनमंडल, सागर तथा दक्षिण वनमंडल, सागर हेतु 150-150 हे. दुगना बिगड़ा वन चयनित कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु योजना तैयार की गई है।
xv.	The State Govt. shall examine the proposed CA land and ensure that no part of proposed CA land is falling within the River.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला, कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा 310.00 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./4247 दिनांक 14.12.2022 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु वनमंडल दक्षिण सागर अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र कक्ष क्र. पी.एफ. 678 रकबा 36 हे., आर.एफ. 673 रकबा 33 हे., आर.एफ. 785 रकबा 31 हे., आर.एफ. 943 रकबा 25 हे., आर.एफ. 991 एवं पी.एफ. 993 रकबा 25 हे. क्षेत्र कुल रकबा 150 हे. एवं उत्तर सागर वनमंडल अंतर्गत पी.एफ. 400 रकबा 50 हे., आर.एफ. 374 रकबा 50 हे., आर.एफ. 381 रकबा 50 हे. क्षेत्र कुल रकबा 150 हे. क्षेत्र चयनित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित उक्त क्षेत्र 300 हे. के किसी भी भाग में नदी का बहाव नहीं है।
xvi.	The KML file of degraded forest land identified for plantation work along with CA scheme shall be uploaded on PARIVESH.	वनमंडल दक्षिण सागर द्वारा KML फाइल अपलोड की जावेगी।
xvii.	Some Non-forestry activity is visible within the proposed CA site at Village Nauradehi. This needs justification.	नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित विस्थापित ग्राम नौरादेही में पूर्व से निर्मित वन विश्राम गृह स्थित है। अन्य कोई गैर वानिकी कार्य प्रचलित नहीं है।
xviii.	It is observed that the Collector, Sagar District vide earlier order dated 10.07.2017 handed over 437.575 ha Private land and Revenue land in four (4) villages namely Noradehi, Kushyari, Rampura madaj & Peepla to the State Forest Department	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला, कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा 310.00 हे.

owing to the relocation of these villages and their habitants from the Nauradehi Wildlife sanctuary. Afterwards, the Collector, Sagar District vide revised order dated 22.07.2017 has reserved the entire 437.575 ha land for CA in lieu of diversion of forest land for Kopra Medium Irrigation project. Now only a part of the said 437.575 ha area is proposed to be used for CA against the instant proposal, which needs justification. The State Govt shall also ensure that land proposed to be given for CA was not part of any village relocation project for which forest land was diverted under Forest(Conservation) Act, 1980.

कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि विस्थापन प्रक्रिया में प्राप्त भूमि नहीं है। "किन्तु उक्त क्षेत्र अधिसूचना क. 700-624-दस-2-75 दिनांक 17.02.1975 द्वारा पूर्व से ही नौरादेही अभयारण्य के भाग के रूप में अधिसूचित है।" प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /4247 दिनांक 14.12.2022 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उत्तर वनमंडल, सागर एवं दक्षिण वनमंडल, सागर अंतर्गत 150-150 हे. दुगना बिगड़ा वन क्षेत्र चयनित कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु योजना तैयार की गई है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.वि./2023/811

सागर, दिनांक : 10-7-23

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमंडल अधिकारी, उत्तर/दक्षिण वनमंडल, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)